बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (औरंगाबाद) 02–105/2025– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..................

श्री नील कुसुम कुमार सिन्हा, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, औरंगाबाद के विरूद्ध अपने मनचाहे स्थान पर पदस्थापन हेतु प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को 5000/– (पाँच हजार) रूपये की रिश्वत देने का प्रयास/भुगतान करने, भ्रष्ट आचरण करने, अनुशासनहीनता तथा बिहर सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों के विपरीत सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल कार्य किए जाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों को विभाग स्तर पर गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–514(15) दिनांक–10.04.2026 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी जिसके आलोक में श्री सिन्हा द्वारा दिनांक–29.04.2026 से अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

3. आरोपी पदाधिकरी से प्राप्त स्पष्टीकरण बनावटी एवं स्वीकार योग्य नहीं होने तथा आरोप की प्रकृति गंभीर (अनुचित लाभ के उद्देश्य से रिश्वत देने का प्रयास/भुगतान करने) होने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सिन्हा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, औरंगाबाद** को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री सिन्हा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, औरंगाबाद/अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, औरंगाबाद/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद/श्री नील कुसुम कुमार सिन्हा, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(इनायत खान),
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (औरंगाबाद) 02–105/2025–............................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–....................

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, औरंगाबाद/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद/श्री नील कुसुम कुमार सिन्हा, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(इनायत खान),
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (औरंगाबाद) 02–105/2025–............................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–....................

स्पीड–पोस्ट

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, औरंगाबाद को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि विभागीय कार्यवाही **अविलम्ब** प्रारम्भ करते हुए जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में 06 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0– आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।

ह0/–
(इनायत खान),
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (औरंगाबाद) 02–105/2025–940(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–02/07/2026

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (**वै0दा0नि0को0**) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति**)/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/6

(इनायत खान),
विशेष सचिव।

D:\2026_Jiten\Departmental Proceeding (Sankalp)_2026\Nil kusum kr sinha_ASO_(khagaria).doc